**<u>मूल हिंदी में</u>**

**भारत सरकार**
**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 2237**
**23.09.2020 को उत्तर के लिए**

**लेमारू हाथी अभयारण्य**

**2237. श्रीमती गोमती साय :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेमारू हाथी अभयारण्य की स्थापना से प्रभावित 140 गांवों के विस्थापित किसानों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनके पुनर्वास हेतु परियोजना के अंतर्गत नियुक्त किए गए कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) ऐसे विस्थापित परिवारों की संख्या और विवरण क्या है जिन्हें अभी तक मुआवजा और भूमि प्रदान की गई है?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री**
**(श्री बाबुल सुप्रियो)**

(क) से (ग) छत्तीसगढ़ राज्य में लेमारू हाथी अभयारण्य को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। हाथी अभयारण्य की घोषणा में गांवों के विस्थापन का कोई प्रावधान नहीं है। जैसाकि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सूचित किया गया है, लेमारू हाथी अभयारण्य की घोषणा करने में गांवों के विस्थापन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****